उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
संख्या-2005/नौ-5-2022-244सा/2018टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 25 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

अवगत कराना है कि नगरीय क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा अभियान की अवधि में की जाने वाली कार्यवाही, स्वच्छता एवं सौन्दर्यीकरण के संबंध में शसनादेश संख्या- 366/नौ-7-2022-27(ज)/2014टीसी, दिनांक 04.04.2022, शासनादेश संख्या-400/नौ-7-2022-27(ज)/2014टीसी, दिनांक 10.04.2022, शासनादेश संख्या-1829/नौ-5-2022-244सा/2018टीसी, दिनांक 17.05.2022 एवं शासनादेश संख्या-473/छः-पु-2-2022-1100(41)/2022, दिनांक 21.05.2022 (छायाप्रति संलगन) द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 21.05.2022 के प्रस्तर-4 में निम्नवत प्रावधान भी किया गया है:-

जनपद स्तर पर उपर्युक्त कार्यों के अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय निकायों के साथ सप्ताहिक समीक्षा की जायेगी एवं नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा मण्डलवार नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो अपने से संबंधित मण्डलों में सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण करेंगे एवं फील्ड विजिट भी करेंगे।

3- उक्त के दृष्टिगत सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त गतिविधियों के नियमित अनुश्रवण एवं फील्ड विजिट हेतु नगर विकास विभाग तथा नगरीय रोजागार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग में तैनात अधिकारियों के मध्य एतद्द्वारा निम्नानुसार मण्डल आवंटित किये जाते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	आवंटित मण्डल
1	श्री अनिल कुमार	सचिव, नगर विकास विभाग	आगरा
2	श्रीमती शकुन्तला गौतम	निदेशक, स्थानीय निकाय	कानपुर
3	श्री अमित सिंह	विशेष सचिव, नगर विकास विभाग	प्रयागराज
4	सुश्री यशु रूस्तगी	निदेशक, सूडा	मेरठ
5	श्री अमित सिंह बंसल	विशेष सचिव, नगर विकास विभाग	आजमगढ़
6	श्री अन्नावि दिनेश कुमार	विशेष सचिव, नगर विकास विभाग	झांसी
7	श्री संजय कुमार सिंह यादव	विशेष सचिव, नगर विकास विभाग	वाराणसी
8	डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी	विशेष सचिव, नगर विकास विभाग	लखनऊ
9	श्रीमती जे0रीभा	अपर निदेशक, सूडा	गोरखपुर
10	श्री गंगाराम गुप्ता	संयुक्त निदेशक, स्थानीय निकाय	सहारनपुर
11	श्रीमती रश्मि सिंह	उप निदेशक, स्थानीय निकाय	मिर्जापुर
12	श्री कल्याण बनर्जी	संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग	बरेली
13	श्री गुलाब सिंह	संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग	चित्रकूट धाम
14	श्री अखिलानन्द ब्रम्हचारी	उप सचिव, नगर विकास विभाग	देवीपाटन (गोण्डा)
15	श्री राजेन्द्र मणि त्रिपाठी	उप सचिव, नगर विकास विभाग	अयोध्या
16	श्री पी0के0 श्रीवास्तव	अपर निदेशक, प्रशिक्षण	बस्ती
17	श्री मृत्यंजय	अपर निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन	मुरादाबाद
18	श्री पप्पू गुप्ता	सचिव, वित्तीय संसाधन बोर्ड	अलीगढ़

Akhileshwar Singh-UO-2021

4- उक्त नामित नोडल अधिकारी शासनादेश दिनांक 21.05.2022 के निर्देशों के क्रम में नियमित अनुश्रवण एवं फील्ड विजिट कर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेंगे।

संलग्नक-यथोपरि।

25.05.2022

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
(2) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
(3) श्री अनिल कुमार, सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) श्रीमती शकुन्तला गौतम, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) श्री अमित सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(6) सुश्री यशु रूस्तगी, निदेशक, सूडा, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) श्री अमित सिंह बंसल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(8) श्री अन्नावि दिनेश कुमार, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(9) श्री संजय कुमार सिंह यादव, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(10) डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(11) श्रीमती जे0रीभा, अपर निदेशक, सूडा, उ0प्र0 लखनऊ।
(12) श्री गंगाराम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(13) श्रीमती रश्मि सिंह, उप निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
(14) श्री कल्याण बनर्जी, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(15) श्री गुलाब सिंह, संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(16) श्री अखिलानन्द ब्रम्हचारी, उप सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(17) श्री राजेन्द्र मणि त्रिपाठी, उप सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
(18) श्री पी0के0 श्रीवास्तव, अपर निदेशक, प्रशिक्षण, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(19) श्री मृत्यंजय, अपर निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(20) श्री पप्पू गुप्ता, सचिव, वित्तीय संसाधन बोर्ड, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(21) क्रम संख्या-12 से लेकर 14 पर अंकित शासन में तैनात अधिकारियों हेतु क्रमशः उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय, एवं सूडा से विषयगत फील्ड विजिट हेतु तत्समय वाहन की व्यवस्था करायी जायेगी।
(22) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

25.05.2022

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्याः– 366 /नौ–7–22–27(ज)/2014टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(4) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
(5) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
(6) समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ दिनाँक 05 अप्रैल, 2022**

विषयः प्रदेश के नगरीय निकायों में नागरिक सुविधाओं एवं साफ–सफाई व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग के संबंध में।

महोदय,

नगरीय क्षेत्रों में साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना नगरीय निकायों का अनिवार्य कर्तव्य है। शासन स्तर से नगरीय निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु समय–समय पर विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये है, जिनके द्वारा निकायों में माइको प्लान बनाकर साफ–सफाई व्यवस्था तथा उ0प्र0 राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अनुसार ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निस्तारण, इत्यादि हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था के विषयगत किसी भी प्रकार की शिकायत के त्वरित निवारण हेतु सभी निकायों को 24X7 कन्ट्रोल रूम स्थापित करने के विषयगत विस्तृत निर्देश निर्गत किये गये है। शासन स्तर पर यह अनुभव किया गया है कि प्रदेश के नगरीय निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने तथा जनसामान्य को नवीनतम तकनीक का प्रयोग करते हुये नगरीय सुविधायें और त्वरित रूप से उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था के विषयगत पूर्व में निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन के साथ ही निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जायें :–

(1) निकाय के सड़को, गलियों इत्यादि की सफाई हेतु माइक्रो प्लान (Micro Plan) बनाकर प्रत्येक मोहल्लों/वार्डो की सड़कों/गलियों की सफाई हेतु सफाई कर्मियों की बीट बनाते हुये सफाई सुनिश्चित की जाय।

(2) साप्ताहिक रूप से नालियों की सफाई तथा आवश्यकतानुसार सीवर की सफाई सुनिश्चित की जाय।

(3) लोगों को घरों में कूड़े के पृथक्करण हेतु जागरूक किया जाय तथा निकाय में शत–प्रतिशत घरों से कूड़ा का कलेक्शन दैनिक रूप से किया जाय। इस संबंध में दिनांक 15.06.2022 तक सभी नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उनके निकाय में शत प्रतिशत डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन हो रहा है।

–2–

Scanned with CamScanner

(4) डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ियों में सूखे एवं गीले कूड़े हेतु अलग–अलग कम्पार्टमेन्ट बनाये जाय तथा उक्त सेग्रीगेटेड कूड़े का नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित किया जाय।

(5) कूड़ा उठान हेतु रूट प्लान बनाये जाये तथा निर्धारित समयावधि में घरों से चिन्हित पड़ाव स्थलों (खुला पड़ाव स्थल /बन्द पड़ाव स्थल/ कॉम्पैक्टर) तक एवं उक्त स्थलों से डम्पिंग ग्राउन्ड/निस्तारण संयत्र तक कूड़ा पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) खुले पड़ाव स्थल जो दीवार से नही घिरे है, उनको तीन ओर से साढ़े तीन फुट ऊँची दीवार तथा तीन फुट के View Cutter से घेर दें, ताकि कूड़ा इधर–उधर न फैले तथा दिनांक 15.06.2022 तक सभी नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारी इस आशय का प्रमाण–पत्र देंगे कि सभी खुले पड़ाव स्थल पर बाउण्ड्री–वाल बनाकर View Cutter लगा दिये गये हैं।

(7) कूड़ा उठान के उपरान्त चिन्हित खुला पड़ाव स्थल/बन्द पड़ाव स्थल/कॉम्पैक्टर की सफाई नियमित रूप से की जाय।

(8) उ0प्र0 राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के अनुसार ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(9) निकाय के सभी गार्बेज वलनेरेबल प्वाइन्ट्स (Garbage vulnerable points) चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जाय उक्त स्थलों से कूड़े का नियमानुसार निस्तारण अविलम्ब सुनिश्चित किया जाय तथा निकाय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान रेंडम चेकिंग भी की जाय।

(10) उपरोक्त हेतु 04–05 वार्डो को जोन/क्लस्टर बनाते हुए उक्त प्रत्येक जोन/क्लस्टर में निकायों के अधिकारियों/निरीक्षकों की डयूटी लगायी जाय, जो नियमित रूप से **प्रातः 05:00 बजे से 08:00 बजे तक** फील्ड में रहकर सफाई, डोर–टू–डोर कूड़ा–कलेक्शन, कूड़ा–उठान, सीवर की सफाई, नाली की सफाई एवं पेयजल व्यवस्था का पर्यवेक्षण करेंगे।

(11) निकायों में सफाई हेतु प्रयुक्त की जाने वाली मशीनों/वाहनों/उपकरणों की मरम्मत का एक सिस्टम लागू किया जाय, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाय कि उपलब्ध मशीनों/वाहनों /उपकरणों में एक समय पर 5 प्रतिशत से ज्यादा मशीन/वाहन/ उपकरण खराब न रहें।

(12) निकाय के उपरोक्त जोन/क्लस्टर के मुख्य स्थलों पर वाल–राइटिंग/ फ्लैक्स–बोर्ड (स्टैण्डर्ड मानक संलग्न है) के माध्यम से उपरोक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी तथा सम्बन्धित वार्ड के बीट इंचार्ज/सफाई नायक/सफाई सुपरवाईजर/सफाई निरीक्षक का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नं0 के साथ ही निकाय के कन्ट्रोल रूम का भी दूरभाष नम्बर प्रदर्शित किया जाय।

(13) नगर निगम में नगर आयुक्त एवं नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में अधिशासी अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन 05:00 बजे से 08:00 बजे के मध्य संबंधित निकाय में सफाई व्यवस्था का रैंडम रूप से दैनिक निरीक्षण किया जाय।

Scanned with CamScanner

3. **कन्ट्रोल रूम** :–

(1) निकायों में साफ–सफाई व्यवस्था के विषयगत किसी भी प्रकार की शिकायत के त्वरित निवारण हेतु सभी निकायों द्वारा 24X7 कन्ट्रोल रूम स्थापित करते हुये उपरोक्त के प्रभावी रूप से कियान्वयन हेतु कन्ट्रोल रूम प्रभारी की तैनाती की जाय तथा समुचित कार्मिकों/अधिकारियों को कन्ट्रोल रूम में ड्यूटी पर डेड्किटेड रूप से रखा जाय। उक्त कन्ट्रोल रूम से नगरीय निकायों की साफ–सफाई की शिकायतों के अतिरिक्त अन्य शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु कार्यवाही की जायेगी। उक्त का प्रचार–प्रसार नागरिकों के मध्य कराया जाय।

(2) निकाय स्तर पर कन्ट्रोल रूम फिलहाल उपलब्ध लैण्डलाइन नम्बर /मोबाइल नम्बर के माध्यम से संचालित किया जाय। भविष्य में मुख्यालय स्तर से एक चार डिजिट का डेडिकेटेड नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा, जिस पर आवश्यकतानुसार हण्टलाइन व अतिरिक्त फोन नम्बर्स उपलब्ध कराये जायेंगे।

(3) उक्त कन्ट्रोल रूम से निकायों में प्रतिदिन सुबह **05:00 से 08:00** बजे तक की जा रही सफाई एवं उसके पर्यवेक्षण की कार्यवाही की real time Monitoring भी सुनिश्चित की जाय।

(4) निकायों के नगरीय सेवा संबंधी विषयों यथा सफाई, पेयजल, सीवर के विषयगत शिकायतों का त्वारित निस्तारण निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित किया जाय। उक्त हेतु प्रत्येक सेवा के लिये एस0एल0ए0/प्रोटोकाल बनाया जाय। मॉडल एस0एल0ए0 मुख्यालय से शीघ्र प्रेषित किया जायेगा।

(5) कन्ट्रोल रूम के प्रभारी द्वारा शिकायतों के निस्तारण के विषयगत की जा रही कार्यवाही की नियमित मॉनिटरिंग की जायेगी। नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाय।

(6) निकायों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु की जा रही कार्यवाही का पर्यवेक्षण करने हेतु नगरीय निकाय निदेशालय स्तर पर डेडिकेटेड कमांड कन्ट्रोल सेन्टर बनाया गया है, जिसका टोल–फ्री नं0 18001800101 है।

(7) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त कमांड कन्ट्रोल सेन्टर में समुचित कार्मिकों को ड्यूटी पर डेडिकेटेड रूप से रखा जाय तथा निदेशालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी कमिक रूप से लगायी जाय, जो नियमित रूप से प्रातः **05:00 बजे से 08:00** बजे तक निकायों में की जा रही सफाई, डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन, कूड़ा उठान, सीवर की सफाई, नाली की सफाई एवं पेयजल व्यवस्था इत्यादि का पर्यवेक्षण करेंगे। उक्त हेतु निदेशालय स्तर पर स्थापित कमांड कन्ट्रोल सेन्टर से प्रतिदिन प्रातः 05:00 से 08:00 बजे तक डिजिटल माध्यम से जुड़कर निकाय के जोन/क्लस्टर स्तर पर नामित अधिकारी/निरीक्षकों द्वारा संबंधित जोन/क्लस्टर में चल रही सफाई, डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन, कूड़ा उठान, सीवर की सफाई एवं पेयजल व्यवस्था इत्यादि का पर्यवेक्षण करेंगे तथा उक्त

-4-

Scanned with CamScanner

के विषयगत प्राप्त शिकायतों को सम्बन्धित निकाय के कन्ट्रोल रूप को प्रेषित करते हुए उक्त का समयबद्व रूप से निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त हेतु जूम लिंक उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन सुबह की स्टिल फोटोग्राफ उपलब्ध कराने हेतु 02 डेडिकेटेड वाटसअेप नम्बर उपलब्ध कराये जायेंगे।

फिलहाल कन्ट्रोल रूम 02 पाली में संचालित होगा। प्रथम पाली में **प्रातः 5:00 बजे अपराह्न 01:00 बजे तक** साफ–सफाई से सम्बन्धित पर्यवेक्षणीय कार्य एवं शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा तथा द्वितीय पाली में **अपराह्न 01:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक** साध्यकालीन सफाई, जो सांय 04:00 बजे से 06:00 बजे तक हाईइनटेंसिटी जोन एवं हाटस्पाट्स से प्राप्त होती है, के पर्यवेक्षणीय कार्य एवं शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा।

(8) निदेशालय स्तर पर स्थापित डेडिकेटेड कमांड कन्ट्रोल सेन्टर की आधारभूत सुविधायें तथा मैनपावर की व्यवस्था मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा की जायेगी।

(9) निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को सघन समीक्षा की जायेगी तथा उक्त की आख्या शासन को प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(10) उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner

स्वच्छता – लोगो

Scanned with CamScanner

नागरिक सुविधाओं एवं साफ–सफाई व्यवस्था से सम्बंधित अधिकारियों / कर्मचारियों के सम्पर्क सूत्र:

स्वच्छ उत्तर प्रदेश

नगर विकास विभाग

निकाय : नाम ....

: नाम ....

क्लस्टर के पर्यवेक्षणीय अधिकारी : नाम ....

पदनाम ....

मोबाइल न0– ....

वार्ड के सफाई एवं खाद्य निरीक्षक : नाम ....

मोबाइल न0– ....

वार्ड के बीट इंचार्ज : नाम ....

मोबाइल न0– ....

वार्ड के सफाई सुपरवाइजर / सफाई नायक : नाम ....

मोबाइल न0– ....

कन्ट्रोल रूम : दूरभाष नम्बर ....

/ वाल राइटिंग की साइज 4फिट x 3फिट होगी।

राइटिंग का बैक ग्राउण्ड कलर लाइट येलो होगा एवं ब्लैक कलर से अक्षर लिखे जायेंगे।

बार्डर कलर केसरिया रंग का है तथा सर्किल के अन्दर का कलर सफेद है।

Scanned with CamScanner

नियमित रूप से स्थानीय निकायों के पर्यवेक्षणीय जोनल/क्लस्टर अधिकारियों द्वारा प्रातः 5.00 से 8.00 बजे भ्रमण के दौरान निम्नलिखित वाटसऐप नम्बर पर अपने ग्रुप में केवल 02 फोटोग्राफ प्रेषित किये जाये:

1 – 8189077794

2 – 8189077796

3 – 8189077811

Scanned with CamScanner

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–400 / नौ–7–2022–27(ज0) / 2014टी0सी0

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे ,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. मिशन अमृत के अंतर्गत चयनित, नगर पालिका परिषद के समस्त अधिशासी अधिकारीगण।
5. अमृत निकायों के अतिरिक्त जनपद मुख्यालय की नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारीगण।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 10 अप्रैल, 2022**

विषयः **प्रदेश के नगर निकायों में नगरीय सुविधाओं के स्तरोनयन एवं शहरों को सुन्दर बनाने हेतु दिनांक 15.04.2022 से दिनांक 15.06.2022 तक 60 दिवसीय 12 सूत्रीय विशेष अभियान चलाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रारम्भ में प्रदेश के समस्त नगर निगमों, मिशन अमृत के अन्तर्गत चयनित समस्त नगर पालिका परिषदों एवं जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषदों में **नगरीय सुविधाओं के स्तरोनयन एवं शहरों को सुन्दर बनाने हेतु दिनांक 15.04.2022 से दिनांक 15.06.2022 तक 60 दिवसीय विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।**

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त 60 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में साफ–सफाई के विषयगत पूर्व में निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन के साथ में निम्नलिखित 12 सूत्रीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायें :–

i. स्थानीय निकाय में जहाँ दो लेन या उससे अधिक लेन की सड़कें हैं, वहाँ पर लोक निर्माण विभाग / आवास एवं शहरी नियोजन विभाग / नगर निकाय आदि द्वारा अपने स्वामित्व वाली सड़कों पर मानक के अनुरूप लेन पेन्टिंग तथा जेब्रा क्रासिंग आदि की मार्किंग का कार्य कराया जाये। साथ ही साथ साइनेज चिन्ह के अतिरिक्त स्टैण्डर्ड बोर्ड लगाये जाये, जिससे निकायों में उक्त की एकरूपता बनी रहे।

ii. स्मार्ट सिटीज के अन्तर्गत जंक्शन इम्प्रूवमेन्ट के जो कार्य प्रगति पर है, उन्हे उपरोक्त अवधि में पूर्ण किया जाये।

स्थानीय निकाय में जंक्शन पर सुगम यातायात के लिये लेफ्ट फ्री ट्रैफिक हेतु बोलार्ड लगाये जायें एवं आवश्यकतानुसार जंक्शन को चौड़ा किया जाये तथा फुटपाथ ठीक कराये जाये। स्थानीय निकायों में अवस्थित चौराहों को पूर्व में निर्गत संगत शासनादेशों के अधीन पी0पी0पी0 माडल पर भी विकसित कराया जाये।

Scanned by CamScanner

iii. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं AQI (Air Quality Index) को मानक के अनुरूप रखने हेतु वैज्ञानिक तरीके से रोड साइड प्लान्टेशन तथा ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाये। अर्द्धविकसित/निर्माणाधीन पार्कों के कार्यों को पूर्ण किया जाये तथा उनका सौन्दर्यीकरण कराया जाये। शहर में मुख्य स्थलों पर वर्टिकल गार्डेन भी लगाये जाये। पार्कों को पी0पी0पी0 माडल के आधार पर विकसित करने का कार्य किया जाये।

iv. शहर के मुख्य स्थलों पर वॉल म्युरल्स तथा वॉल पेन्टिंग का कार्य विभिन्न थीम के आधार पर कराये जायें। इस हेतु नगर निगम वाराणसी एवं प्रयागराज के क्षेत्र में किये गये वॉल म्युरलस तथा वॉल पेन्टिंग को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है।

v. शहर के मुख्य बाजारों, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थलों पर दैनिक रूप में सांयकाल 4:00 से 8:00 बजे के बीच भी द्वितीय पाली में सफाई का कार्य किया जाये एवं कूड़े का उठान कराया जाये।

vi. गार्बेज वर्नेबल प्वाइन्ट को शत–प्रतिशत समाप्त करते हुए उक्त स्थलों का सौन्दर्यीकरण कराया जाये तथा अविकसित सेकेण्डरी कलेक्शन प्वाइंट्स को चिन्हित करते हुये या तो काम्पैक्टर लगाये जाये अथवा उनको तीन तरफ से तीन फिट की आर0सी0सी0 दीवार एवं उसके ऊपर तीन फिट ग्रीन सीट लगाते हुए कवर किया जाये तथा एक तरफ गेट लगाया जाये।

vii. शहर के मुख्य नाले जिनमें दुर्गन्ध आती है तथा प्रदूषण फैल रहा है, उनका बायो–रिमिडियेशन/फाइटो–रिमिडियेशन करांया जाये तथा उक्त कार्यों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग भी की जाये।

viii. आलोच्य अवधि में नालों/नालियों की सफाई का विशेष अभियान चलाया जाये, जिससे वर्षा काल में जलभराव की स्थिति न हो। इसके लिए विस्तृत माइक्रोप्लान बनाते हुए पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की ड्यूटी लगायी जाये और सफाई के पूर्व एवं बाद के latitude और longitude के साथ फोटोग्राफ लेते हुए digital diary बनायी जाये।

ix. सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की डायरेक्टरी बनायी जाये तथा अभियान चलाकर बन्द/खराब सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों को ठीक कराया जाये एवं उनके अनुरक्षण व संचालन के लिए समुचित व्यवस्था की जाये।

x. लिगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य जिन निकायों में वर्तमान में प्रगति पर है, वहाँ साइट पर ट्रामेल्स की संख्या बढ़ायी जाये, जिससे वर्षाकाल के पूर्व अधिक से अधिक लिगेसी वेस्ट का निस्तारण हो सके।

xi. जिन शहरों में वन सिटी वन आपरेटर के तहत निजी कम्पनियों द्वारा एस0टी0पी0 संचालन व सीवर के रखरखाव का कार्य किया जा रहा है, वहाँ के नगर आयुक्त द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जल निगम के साथ मिलकर मेजर रिपेयर्स/रि–प्लेसमेन्ट के कार्यो हेतु आगणन तैयार कराते हुए तत्काल सुधार कार्य निष्पादित कराये जायें।

xii. सम्पूर्ण शहर में होर्डिंग के स्थलों का चिन्हांकन कर उन्हें व्यवस्थित किया जाये एवं उनका मानकीकरण भी किया जाये। कुछ प्रोमिनेन्ट स्थलों पर स्थानीय निकाय की तरफ से डिजिटल होर्डिंग लगायी जाये, जिससे नागरिक

Scanned by CamScanner

सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी के साथ–साथ स्वच्छता आदि के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. उक्त विशेष अभियान के दौरान निकायों में की जा रही कार्यवाही का पर्यवेक्षण करने हेतु शासन द्वारा नामित अधिकारी निकायों में भ्रमण कर विशेष अभियान के दौरान की जा रही कार्यवाही की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायेंगे।

4. विशेष अभियान के दौरान निकायों में की जा रही कार्यवाही की साप्ताहिक सूचना संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्न–1 एवं 2) पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को प्रत्येक सोमवार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उक्त सूचना संकलित कर प्रत्येक मंगलवार शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner

<u>संलग्नक–1</u>

नगर निकायों में नगरीय सुविधाओं के स्तरोनयन एवं शहरों को स्वच्छ रखने हेतु दिनांक 15.04.2022 से दिनांक 15.06.2022 तक 60 दिवसीय विशेष अभियान की सूचना।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	सड़कों पर मानक के अनुरूप लेन पेन्टिंग, जेब्रा कासिंग की मार्किंग		लगाये गये स्टेण्डर्ड बोर्ड की संख्या	रोड साईड प्लान्टेशन के दौरान लगाये गये पौधों की संख्या / विकसित किये गये ग्रीन बेल्ट की संख्या	शहर के मुख्य स्थलों पर लगाये गये वर्टिकल गार्डेन की संख्या	पूर्ण कराये गये अर्धविकसित / निर्माणाधीन पार्कों की कुल संख्या	वॉल म्युरल्स / वॉल पेन्टिंग		गार्बेज वर्नेबल प्वान्ट (जी0वी0पी0)		काम्पेक्टर / तीन तरफ से घेर कर विकसित किये गये सेकेन्ड्री कलेक्शन प्वाइन्टस की संख्या	ठीक कराये गये सार्वजनिक / सामुदायिक शौचालयों की संख्या	निकाय द्वारा लगाये गये डिजिटल होल्डिंग की संख्या	निस्तारित किये गये लिगेसी वेस्ट की कुल मात्रा (मिट्रीक टन में)
			संख्या	लम्बाई					संख्या	क्षेत्रफल	विशेष अभियान से पूर्व कुल जी0वी0पी0 संख्या	अभियान के दौरान समाप्त किये गये जी0वी0पी0 की संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																

so.naaearvikas 2020 landscape

Scanned by CamScanner

संलग्नक–2

नगर निकायों में नगरीय सुविधाओं के स्तरोनयन एवं शहरों को स्वच्छ रखने हेतु दिनांक 15.04.2022 से दिनांक 15.06.2022 तक 60 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान नाला सफाई की सूचना।

क्र0 सं0	निकाय का नाम	नालों की संख्या				नालों की लम्बाई (मी0 में)				सफाई किये गये नालों की संख्या				सफाई किये गये नालों की कुल लम्बाई (मी0 में)				विशेष अभियान के दौरान बायोरिमिडियेशन / फाइटोरिमिडियेशन कराये गये नालों की संख्या
		बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल	बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल	बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल	बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2.																		
3.																		

so.naagarvikas 2020 landscape

Scanned by CamScanner

संख्या- 1829 /नौ-5-2022-244सा/2018टी0सी0

प्रेषक,

अमृत अभिजात
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- राज्य मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटी/नगरीय परिवहन, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5 **लखनऊ:: दिनांक 17 मई, 2022**

विषयः- सड़क सुरक्षा के संबंध में।

महोदय,

कृपया आप अवगत हैं कि सड़क/मार्ग दुर्घटना में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में नागरिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं एवं गंभीर दुर्घटना की स्थिति में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। जनसामान्य के जीवन की सुरक्षा एवं इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा के समस्त उपायों को अपनाया जाना वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। अतएव सड़क सुरक्षा के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायेः-

I. समस्त स्थानीय निकायों में पूर्व में स्थापित वी0एम0एस0, पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा अधिकृत होर्डिंग्स/डिजिटल बोर्डों के माध्यम से सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये। विभिन्न नागरिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के सहयोग से नागरिकों/विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों एवं दुर्घटना से बचाव हेतु दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 18.06.2022 तक संचालित जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित कराया जाये।

II. समस्त स्थानीय निकायों में अधिकृत बस/टैम्पो/टैक्सी के हाल्टिंग स्थलों को चिन्हित करते हुए आवश्यक व्यवस्थाऐं यथा-रोड मार्किंग, साइनेज, पेयजल, मार्ग प्रकाश आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा अवैध पार्किंग को हटाये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाये।

III. नगरीय क्षेत्रों में दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 18.06.2022 तक एक माह का विशेष अभियान चलाकर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एवं व्यापार मण्डल/स्ट्रीट वेण्डर्स एसोसिएशन एवं अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ से बैठक करते हुए सार्वजनिक स्थलों एवं नगरीय सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

IV. नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई आदि के संबंध में पूर्व से संचालित 60 दिवसीय विशेष अभियान के अन्तर्गत अवैध होर्डिंग हटाकर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड स्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। शासनादेश दिनांक 10.04.2022 द्वारा दो या उससे अधिक लेन की सड़कों पर लेन पेंटिंग एवं जेब्रा क्रॉसिंग की मार्किंग हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान संचालित किया गया है। उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साइनेज चिन्ह तथा स्टैण्डर्ड बोर्ड लगाये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।

V. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों की सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा सड़कों के गड्ढामुक्ति/नवीनीकरण/रेस्टोरेशन के कार्यों का नियमित चेकिंग भी सुनिश्चित किया जाये। एक माह का विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर पाथ होल्स ठीक करने, अवैध कट एवं सड़क के ज्वाइंटर की मरम्मत का कार्य सुनिश्चित किया जाये एवं अक्रियाशील प्रकाश बिन्दुओं को क्रियाशील किया जाये।

VI. स्थानीय निकायों की सड़कों पर छुटटा पशुओं के आने से प्रायः दुर्घटनाऐं घटित होती रहती हैं। अतएव विशेष अभियान चलाकर आवारा/छुट्टा पशुओं को पकड़कर गोआश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाये।

Akhileshwar Singh G.O.-2020-K.K.R.

VII. स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत 10 नगर निगम शहरों (लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, अलीगढ़ एवं प्रयागराज) में परियोजनाओं के अन्तर्गत ई-चालान निर्गत किये जा रहे हैं तथा शेष शहरों में दिनांक 30.05.2022 तक ई-चालान निर्गत किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

VIII. नगरीय क्षेत्रों में जनसामान्य को सुगम एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 'फेम योजना' के अन्तर्गत अपेक्षित समस्त 740 इलेक्ट्रिक बसों के सापेक्ष 440 इलेक्ट्रिक बसें संचालित हैं। अवशेष 300 बसों के संचालन की कार्यवाही आगामी दिनांक 30.06.2022 तक सुनिश्चित की जाये।

IX. सुरक्षित एवं द्रुत यातायात व्यवस्था हेतु बरेली, अयोध्या, सहारनपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, झांसी के कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तथा लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा, प्रयागराज एवं मेरठ हेतु पुनरीक्षित कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान का कार्य दिनांक 15.12.2022 तक पूर्ण किया जाये।

2- कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन के संबंध में नगरीय निकायों द्वारा की गई कार्यवाही की शीघ्र ही शासन एवं नगरीय निकाय निदेशालय स्तर से टीम भेजकर निरीक्षण/समीक्षा की जायेगी। अतएव उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं कृत कार्यवाही की आख्या निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराई जाय। तदोपरान्त कृत कार्यवाही की समेकित अनुपालन आख्या निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-</u>

1- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

17.05.2022

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

1933 /अ-5-22

<u>अतिमहत्वपूर्ण/शीर्षप्राथमिकता/फैक्स/ई-मेल</u>

<u>संख्या- 473 /छ:-पु-2-2022-1100(41)/2022</u>

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/सूचना/बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/चिकित्सा एवं स्वास्थय/चिकित्सा शिक्षा/लोक निर्माण/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात, सड़क सुरक्षा/यूपी-112, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 21 मई, 2022**

विषयः सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 18.05.2022 को वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा निर्गत कार्यवृत्त संख्याः 460/छ:-पु-2-2022-1100(41)/2022, दिनांक 19.05.2022 एवं शासनादेश संख्याः 461/छ:-पु-2-2022-1100(41)/2022, दिनांक 19.05.2022 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 18.05.2022 को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से दिये गये निर्देशों के अनुपालन की नियमित रूप से समीक्षा की जानी अपेक्षित है।

2- इस सम्बन्ध में विभागों से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूपों की छायाप्रतियां संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित बिन्दुओं पर वांछित सूचनायें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप में हार्ड कापी एवं सॉफ्ट कॉपी में ई-मेल sadaksurakshahome@gmail.com पर प्रथमबार दिनांक 22.05.2022 की सांय 05.00 बजे तक तथा तत्पश्चात निर्देशानुसार प्रतिदिन/प्रत्येक सप्ताह उपरोक्त प्रारूपों पर अद्यतन सूचनायें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस हेतु विभागवार निर्धारित प्रारूपों की संख्या एवं गूगल लिंक का विवरण संलग्न है। कृपया उक्त उपलब्ध गूगल लिंक की शीट में भी उपरोक्तानुसार नियमित रूप से अद्यतन डाटा अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

2

sadak suraksha.com

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा/उपशा/यीडा।
3. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
11. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. शिक्षा निदेशक, बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त जनपद मुख्य/अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त सम्भागीय/सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
19. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मालपाणी)
विशेष सचिव।

sadak suraksha.com